The Right to Information Act 2005

Application for obtaining information

From,

V. K. Gaur

H. No.- C-115, Gali No.- 8,

Kanti Nagar Extn, Delhi- 110051

To,

The Chief Public Information Officer (CPIO)

Power Grid Corporation of India Ltd., RHQ , SRTS - II,

Near RTO Driving Test Track, Singanayakanahalli,

Yelahanka - Dodaballapur road,

Bengaluru - 560064.

Sub: Under the Right to Information Act 2005, Section- 6(1).

R/Sir,

"Please supply me copies of the (1) Preliminary Action Taken Report, (2) Action Taken Report and (3) final decision of the competent authority in matters of the letter dated -27.05.2013 filed by Undersigned, addressing to Chief Manager, HR, RHQ, Bangalore (copy enclosed)."

An IPO worth of Rs. 10/- with no. – 16F 352085 is attached herewith this letter as RTI Fees.

With Best Regards,

Truly Yours, [signature] 09/02/15

Monday, February 9th 2015

Ms. Jayashree 10/2/15

उचित माध्यम द्वारा प्रेम कुमार 28/5/13.

सेवा में,

दिनांक – 27/05/2013

श्रीमान मुख्य प्रबंधक (मा० सं०)

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

दक्षिणी क्षेत्र – 2, बैंगलोर

विषय:- वेतन भुगतान एवं वेतन पुनः निर्धारण बकाया धनराशि संदर्भित ।

मान्यवर जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका प्रेषित पत्र सन्दर्भ संख्या दक्षेपाप्र-2 /मासं -स्थापना /10520 /2013/510 दिनांक-23/05/2013 अधोहस्ताक्षरी को दिनांक-25/05/2013 को मिला है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपनी वेतन पुनः निर्धारण तालिका एवं वेतन पर्चियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है। कि अधोहस्ताक्षरी को वेतन एवं वेतन पुनः निर्धारण बकाया धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान आज तक नहीं किया गया है । इसके उपरान्त अधोहस्ताक्षरी का मकान किराया भत्ता धनराशि रूपये - 47625/- (रूपये सैंतालीस हजार छः सौ पच्चीस) अवैधानिक रूप में वेतन से काट लिया गया है। तथा अधोहस्ताक्षरी को दिनांक - 27/02/2007 से दिनांक - 31/03/2007 तक का वैधानिक वेतन भी नहीं दिया गया है। जिनका अधोहस्ताक्षरी वैधानिक रूप से हकदार है ।तथा अधोहस्ताक्षरी को एल.डब्लू.पी. वेतन पुनः निर्धारण तालिका में दर्शाया गया है। और अधोहस्ताक्षरी की अवेतन छुट्टी (एल.डब्लू.पी) बाबत धनराशि अवैधानिक रूप से काट ली गयी है ।अधोहस्ताक्षरी नियुक्ति दिनांक - 03/09/1986 से लेकर आज तक अवेतन छुट्टी पर नहीं रहा है।

अधोहस्ताक्षरी दिनांक - 24/05/2006/ से दिनांक - 26/02/2007 तक एलपीए 1793 / 2006 दिनांक - 01/09/2006 के माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेशानुसार ही कार्यरत था। आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उक्त अवधि में अनधिकृत अवकाश दर्शाना माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश के प्रतिकूल एवं निर्देश की अवहेलना है ।

आपसे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी को उक्त धनराशि का भुगतान अविलम्ब कराया जाय अन्यथा अवैधानिक रूप से रोकी गयी वेतन एवं वेतन पुनः निर्धारण बकाया धनराशि भुगतान बाबत अधोहस्ताक्षरी को बाध्य होकर उचित वैधानिक कार्यवाही के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय पावरग्रिड प्रबंधन के सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा देय होगा ।

सधन्यवाद

भवदीय

वी के गौड 27/05/2013

वी० के० गौड

क० सं० -10520

संलग्न : प्रतिलिपि

श्री अरुण कुमार,मुख्य प्रबंधक (मा० सं०)

केन्द्रीय कार्यालय, गुडगाँव